न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 126 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 427

1. ताराचन्द पुत्र रामनारायण जाति जाट निवासी ढण्डी, तहसील रायसिंहनगर

—अपीलार्थी

बनाम

1. भानीराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति :—

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री तिलकराज चुघ, प्रत्यर्थी सं. 1

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 04.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा प्र.सं. 1 / 2021 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम भानीराम बनाम ताराचन्द में पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 एवं 29.03.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी की कृषि भूमि चक 24 एनपी मु.नं. 17 कि.नं. 24, 25 में रास्ता को चालू करवाये जाने के आदेश पारित किये गये हैं से व्यथित होकर यह अपील मय प्रा.पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के पेश की।
2. मियाद के बिन्दू पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सं. 1 के अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी गयी। दिनांक 12.04.2022 को अपील दर्ज करते समय मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखा गया था। सर्वप्रथम मियाद पर निर्णय किया जाना आवश्यक हैं।
3. अपीलार्थी के द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2021 एवं उसके अनुसरण में पारित आदेश दिनांक 29.03.2022 की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 05.04.2022 से पूर्व नहीं थी। अपीलाधीन आदेशों की जानकारी सर्वप्रथम तब हुई जब हल्का गिरदावर, पटवारी ठण्डी, रायसिंहनगर के द्वारा दिनांक 05.04.2022 को रास्ता खुलवाए जाने हेतु प्रार्थी की कृषि भूमि पर पंहुचे, जिस पर प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश का ज्ञान हुआ तो बिना किसी देरी के आदेश व पत्रावली से संबंधित अन्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति दिनांक 08.0[illegible] अपील अपीलाधीन आदेश की जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की हैं [illegible] प्रस्तुत करने में हुई देरी सद्भाविक है व क्षमा कि[illegible] न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक कार्यवाही [illegible] प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समायावधि में दिनांक 15.03.2020 से 02.01.2022 तक एवं उसके प[illegible] समयावधि को 28.02.2022 से 90 दिवस तक [illegible]श जारी कर समय सी[illegible] छूट प्रदान की गयी हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील को अन्दर मियाद मानकर स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
4. अपीलार्थी के द्वारा मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य उठाया हैं कि उन्हें अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.02.2021 एवं उसके अनुसरण में पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक 29.03.2022 की जानकारी दिनांक 05.04.2022 से पूर्व नहीं थी जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया हैं कि दिनांक 25.02.2021 को अपीलार्थी (अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी) का नोटिस तामील उपरान्त प्राप्त हुआ और अपीलार्थी स्वयं व अधिवक्ता अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए व जवाब प्रस्तुत किया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसी रोज अप्रार्थी(अपीलार्थी) की सुनवाई करते हुए निर्णय पारित किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित हैं, और जवाब व वकालतनामा पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.02.2021 में भी अपीलार्थी व अधिवक्ता की उपस्थिति अंकित हैं। चूंकि मूल अपील प्रकरण सुनवाई पूर्ण हो चुकी हैं इसलिए तकनीकी आधार पर अपील अस्वीकार की जाना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण की जाती हैं।

5. अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया हैं कि तहसीलदार धारा 251 के तहत पूर्व से चालू रास्ता को ही सुखाचार के तहत खुलवा सकते थे, लेकिन पूर्व में उक्त भूमि पर रास्ता कभी चालू नहीं था। रेस्पोंडेंट सं. 1 के अधिवक्ता का कथन हैं कि रास्ता स्वीकार करवाने हेतु प्रकरण धारा 251ए के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 27.04.2022 को निर्णय पारित कर रास्ता स्वीकार किया गया हैं, श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, श्रीगंगानगर के द्वारा अपील प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी का निर्णय सही माना हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गय कि तहसीलदार द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 25.02.2021 व इसके अनुसरण में दिनांक 29.03.2022 को रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया गया हैं, जबकि उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 27.04.2022 को रास्ता स्वीकृत किया गया हैं, तब तक कोई रास्ता स्वीकृत ही नहीं था। प्रत्यर्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी न्यायालय में आवेदन पेश किया था कि उन्हें अपनी भूमि में आवागमन हेतु मार्ग उपलब्ध नहीं हैं, जबकि उन्हें भूमि में आने जाने के लिए रास्ता उपलब्ध था। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.05.2022 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 27.04.2022 की पालना स्थगित की गयी हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से रास्ता खुलवाया गया हैं, आलौच्य आदेश को निरस्त करने के लिए निवेदन किया। अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हेतु विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया हैं। अपील कोस्ट पर खारिज करने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

6. बहस वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उभयपक्ष की सुनवाई कर दिनांक 25.02.2021 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी भानीराम(प्रत्यर्थी) का प्रार्थना स्वीकार अप्रार्थी ताराचन्द(अपीलार्थी)की भूमि चक 24 एनपी मु.नं. 17 कि.नं. 24–25 में से अवरोध को हटाकर रास्ता [illegible] किये गये एवं तत्पश्चात तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा अप[illegible] राजस्व/2022/763–764 दिनांक 29.03.2022 [illegible] पटवारी हल्का ठण्डी को उक्त आदेश की पालना [illegible] गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:47 IST
Reason: SelfAttested

7. धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार से हैं –

"251. Rights of way and other private easement— (1) In the event of any holder of land, in actual enjoyment of a right of way or other easement or right, having, without his consent, been disturbed in such enjoyment otherwise than in due course of law, the Tehsildar may, on the application of the holder of land so disturbed and after making a summary inquiry into the fact of such enjoyment and disturbance, order the disturbance to be removed or stopped and the applicant-holder to be

जिला कलक्टर
अनूपगढ़

restored to such enjoyment, notwithstanding any other title that may be set up before the Tehsildar against such restoration.
(2) No order passed under this section shall debar any person from establishing such right or easement as he may claim by a regular suit in a competent civil court."

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट भू.अ.नि. ठण्डी दिनांक 18.02.2021 का अवलोकन किया। भू.अ.नि. द्वारा अपनी रिपोर्ट में अंकित किय गया हैं कि "उपस्थितों ने बताया कि पूर्व में तो सहमति से प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार मु.नं. 17 के कि.नं. 24 व 25 में से ही आवागमन करते थे लेकिन अब करीब एक माह से गेहूं की बिजाई कर रास्ता बन्द कर दिया गया हैं।"

अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं। न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हैं। अपील खारिज किया जाना उचित हैं।

8. **अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं। पत्रावली में लम्बित अन्य प्रार्थना पत्र भी इसी स्तर पर खारिज किये जाते हैं।**

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 04.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:47:47 IST
Reason: SelfAttested